



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57396

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2661/2026

राहुल जैनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दिनेश कुमार गौतम, मनीष कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. अधिवक्ता श्री उत्कर्ष खन्ना ने सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष खन्ना और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 71/2026, धारा 69 बी.एन.एस. 2023, थाना- विजयनगर, जिला गाजियाबाद के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
 - i. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि आवेदक और पीड़िता सहमति से संबंध में थे।
 - ii. पीड़िता एक विवाहित महिला है जिसका आठ साल का बच्चा है और उसका तलाक नहीं हुआ है। इसलिए, आवेदक द्वारा विवाह का कोई वैध वादा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह संपन्न नहीं हो सकता था।
 - iii. पीड़िता के वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं हैं।
 - iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विवेचना तथा विचारण (यदि कोई हो) में सहयोग करने का वचन देता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v. आवेदक आगे यह वचन देता है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को डराएगा-धमकाएगा।

5. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री खन्ना ने तर्क दिया है कि आवेदक वर्तमान मामले में मुख्य अभियुक्त है, जिसने पीड़िता का अनुचित लाभ उठाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह भी आरोप है कि आवेदक अब वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता आवेदक के बच्चे से गर्भवती थी। आवेदक के विरुद्ध कथित अपराध काफी गंभीर है और उसे इस न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक और पीड़िता एक साथ ई.एम.टी. प्रशिक्षण ले रहे थे। आवेदक पर पीड़िता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने का आरोप है। पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आवेदक ने स्वयं को मारने की धमकी दी और वादा किया कि भविष्य में, जब पीड़िता अपने पति से तलाक ले लेगी, तो वह उससे विवाह करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि पक्षों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता के पति को संबंधों की जानकारी होने पर पीड़िता ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई अन्य आरोप लगाए गए हैं, जिनकी इस स्तर पर जांच की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अभिलेख को देखने से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता अभी भी अपने पति के साथ विवाहित है।

9. जब पीड़िता आवेदक के साथ विवाह नहीं कर सकती, तो शादी का झूठा वादा करने या झूठे वादे या धोखे से संभोग के लिए प्रेरित करने का धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध आकर्षित नहीं हो सकता। पीड़िता एक शिक्षित महिला और आठ वर्ष के बच्चे की माँ है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह अपने पति से अलग रह रही है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय का मत है कि धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. मामले के उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।

11. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- राहुल जैन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"